न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 17/2025 तारीख रजू :– 04.04.2025

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. ब्रजेश पुत्र गोपाल
2. उकार लाल पुत्र बत्तूराम

} जाति ब्राहमण

3. शिवसिंह पुत्र वृंदावन
4. नरेश पुत्र रत्तीराम
5. मुंशी पुत्र कमल
6. वकील पुत्र अमरसिंह
7. राजेन्द्र सिंह पुत्र दिलसुख
8. भरतू पुत्र भोरया
9. मुचण्डी पुत्र जीवन
10. अमित पुत्र दिलसुख
11. रामेश्वर पुत्र विजय
12. विपिन पुत्र हरकेश
13. रघुवीर पुत्र धर्मसिंह
14. सुमरन पुत्र हरज्ञान

समस्त जाति गुर्जर समस्त निवासी निसूरा तहसील बालघाट जिला करौली राजस्थान।

सायलान

बनाम

1. राजेश पुत्र
2. छैलबिहारी
3. नर्वदा देवी पत्नि
4. सरोज पुत्री

} राधेश्याम } जाति ब्राहमण निवासी निसूरा तह0 बालघाट जिला करौली राजस्थान

5. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) व सब रजिस्ट्रार बालघाट जिला करौली राज0

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– विजय भारती एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी की ओर – सुरेश चन्द [redacted] एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:01:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

निर्णय दिनांकः— 24.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल जमाबन्दी ग्राम निसूरा तहसील बालघाट जिला करौली (राज0) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2074—77 जमाबन्दी 2020 (वर्ष 2024) से स्थाई के खाता संख्या 281 नया में खसरा नम्बर 2653/0.09, 2654/0.06, 3687/0.21, 3688/0.22, 3689/0.23 दर्ज जमाबन्दी है। जिसकी खातेदारी उपरोक्त जामबन्दी में दर्ज खातेदारान/प्रतिवादीयान के नाम दर्ज है। भूप्रबन्ध विभाग राजस्थान सरकार सम्वत् 2043 से 2062 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2010 रकवा 12 विस्वा से नवीन हाल खसरा नम्बर 2653/0.09, 2654/0.06 तथा साबिक खसरा नम्बर 2498 रकवा 02 बीघा 12 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 3687/0.21, 3688/0.22, 3689/0.23 बनाये है। जमाबन्दी केवट खतौनी ग्राम निसूरा तहसील टोडाभीम जिला सवाई माधोपुर सम्वत् 2017—2020 खाता संख्या 641 के कॉलम नम्बर 4 के अनुसार साबिक खसरा 2010 रकवा 12 विस्वा व साबिक खसरा नम्बर 2498 रकवा 02 बीघा 12 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 03 बीघा 04 विस्वा का भूमि अधिकारी माफी मंदिर श्री गोपाल लाल जी दर्ज है। मंदिर श्री गोपाल जी मूर्ति से समस्त ग्रामवासियान की धार्मिक भावना जुडी हुई है। माफी मूर्ति मंदिर व मंदिर की भूमि जिसकी खातेदारी राजस्व नियमों एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है। पुजारी का अंकन नये नियमों के अन्तर्गत तहसील स्तर पर एक रजिस्टर संधारित कर उसमें अंकन किये जाने का प्रावधान राजस्थान सरकार द्वारा निहित कर रखा है।

राजस्व कर्मियों ने सम्वत् 2021—2024 की जमाबन्दी (खेवट खतौनी) खतोनी संख्या 459 में भूमि अधिकारी/खातेदार माफी मंदिर श्री गोपाल लाल जी का नाम हजफ कर दिया गया एवं कालम संख्या 5 में कृषक का नाम शिवलाल, रेवती, रामजीलाल पि0 राकुवार कौम ब्राहमण दर्ज कर दिया गया तो नियमों के अनुसार हजफ कर खातेदार का नाम माफी मंदिर श्री गोपालजी दर्ज करना न्यायहित व न्याय संगत है। अतः श्रीमान से खातेदारी माफी मंदिर श्री गोपाल लाल जी के नाम आदेश खातेदारी दर्ज करने की विनम्र गुजारिश है। मूर्ति मंदिर को माईनर का दर्जा कानून के अन्तर्गत मिला हुआ है। अतः अपेक्स कोर्टों के निर्णय के अनुसार माईनर की खातेदारी हजफ नहीं की जा सकती। माफी मंदिर की भूमियों को मंदिर के नाम दर्ज करने के लिये राजस्थान सरकार ने समय-समय पर आदेश प्रसारित कर भूमियों की खातेदारी पुजारी के नाम से हजफ कर मंदिर के खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रसारित किये परन्तु राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों ने उपरोक्त आदेशों की पालना नहीं की। अतः माननीय न्यायालय से अब हाल खसरा नम्बर 2653/0.09, 2654/0.06, 3687/0.21,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:01:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

3688/0.22, 3689/0.23 कुल किता 5 रकबा 0.81 है0 स्थित ग्राम निसूरा की खातेदारी माफी मंदिर श्रीगोपालजी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रसारित करने का विनम्र निवेदन है।

बांका दिनांक 18.03.2025 का है। ग्राम निसूरा के चौपाल पर आमजन चर्चा कर रहे थे कि पुराजी राजेश पुत्र राधेश्याम ने गांव निसूरा की माफी मंदिर श्री गोपालजी की भूमि को किसी लठैत आदमी को विकय कर दिया है, तदोपरान्त ग्राम के प्रमुख व्यक्ति एवं धार्मिक लोगों ने जानकारी कर मालूम किया तो खातेदारी में माफी मंदिर श्री गोपालजी का नाम हजफ कर देने की जानकारी मिली तब गैरसायल संख्या 1 ता 4 को बुलाया और सभी ग्रामवासियों ने उनसे पूछा कि आपने माफी मंदिर की आराजी का विकय क्यों किया है तो उन्होनें कहा कि विकय कर दिया तो कर दिया तुम पर बनता है वो कर लो। उसके बाद स्थानीय राजस्व प्रशासन व जिला कलक्टर महोदय, करौली से मौखिक एवं लिखित में भी निवेदन किया परन्तु सन्तोषप्रद जबाव नहीं मिलने के कारण दावा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। सायलानों से भी खसरा नम्बर हाल ग्राम निसूरा 2653, 2654, 3687, 3688, 3689 की खातेदारी माफी मंदिर श्री गोपालजी के नाम दर्ज करने का निवेदन किया परन्तु गैरसायलानों ने खातेदारी माफी मंदिर श्रीगोपालजी के नाम दर्ज कराने से स्पष्ट मना कर दिया। मंदिर श्री गोपालजी से समस्त ग्राम निसूरा के धार्मिक व्यक्तियों को आस्था जुडी हुई है तथा मंदिर आस्का का केन्द्र है। जिसकी खातेदारी हजब करने से आम जनता ग्राम निसूरा की धार्मिक भावना आहत हुई है। दिनांक 18.03.2025 के दिन करीब 12 बजे ग्राम निसूरा में गैरसायलानों ने खातेदारी उपरोक्त खसरा नम्बरान 2653, 2654, 3687, 3688, 3689 जो ग्राम निसूरा की जमाबन्दी में गैरसायलानों के नाम है को माफी मंदिर श्री गोपालजी के नाम दर्ज की मना करने से ग्राम निसूरा तहसील बालघाट जिला करौली में पैदा हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया ाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी हाल ग्राम निसूरा तहसील बालघाट जिला करौली अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दी 2080 (वर्ष 2024) से स्थाई खाता संख्या 281 नया में खसरा नम्बर 2653/0.09, 2654/0.06, 3687/0.21, 3688/0.22, 3689/0.23 में माफी मंदिर की आराजी में किसी प्रकार का मजाहमत मदाखलत ना करे नाही कोई रहन वहन करे व कोई ऐसा कार्य न करे जिससे सायलान के हक हकूक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडे व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:01:51 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिकतम तथ्यो को अस्वीकार करते हुये बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2653/0.09, 2654/0.06, 3687/0.21,

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

3688/0.22, 3689/0.23 की खातेदारी गैरसायलान व दावे के प्रतिवादीगण के नाम वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है तथा गैरसायलान व दावे के प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 2010 रकबा 12 बिस्वा से नवीन हाल खसरा नम्बर 2653/0.09, 2654/0.06 तथा साबिक खसरा नम्बर 2498 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 3687/0.21, 3688/0.22, 3689/0.23 बनाये है। साबिक खसरा नम्बर 2010, 2498 गैरसायलान के कब्जे काश्त की आराजी है तथा गैरसायलान ही काश्त कर रहे है। उक्त आराजी कभी माफी मंदिर श्री गोपालजी के नाम नहीं रही है। उक्त आराजी जिला कलक्टर के आदेश से नामान्तकरण 232 दिनांक 24.03.1963 से गैरसायलान व दावे के प्रतिवादीगण के नाम आई है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 गलत एवं अस्वीकार है। इस मद में सायलान द्वारा समस्त कथन एकदम गलत अंकित कराये है जब आराजी कभी भी मंदिर की नहीं रही है तो आम जनता की भावनाओं से जुडने का प्रश्न कहा उत्पन्न होता है उक्त आराजी के बावत् ना तो कोई रजिस्टर संधारित है।

विशेष विवरण/काउन्टर क्लेम में अंकित किया है कि सायलान द्वारा समस्त मैटेरियल फैक्टस को छुपाते हयु दावा मय दरखास्त हाजा एकदम गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है। सायलान का आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि गैरसायलान काबिज होकर काश्त कर रहे है कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। खारिज योग्य है। सायलान द्वारा समस्त कथन एकदम गलत अंकित कराये है साबिक खसरा नम्बर 2010, 2498 गैरसायलान के कब्जे काश्त की आराजी है तथा गैरसायलान ही काश्त कर रहे है। उक्त आराजी कभी माफी मंदिर श्री गोपालजी के नाम नहीं रही है उक्त आराजी जिला कलक्टर के आदेश से नामान्तकरण 232 दिनांक 24.03.1963 से गैरसायलान के नाम आई है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकीलो की बहस सुनी उस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम निसूरा के खसरा नम्बर 2653/0.09, 265[illegible] 3687/0.21, 3688/0.22, 3689/0.23 की खातेदारी गैरसायलान के [illegible] तथा [illegible] दावे के प्रतिवादीगण के नाम सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। [illegible] रिकार्ड अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2010, 2498 की [illegible] श्री गोपालजी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त स्थिति में मूल वाद में दस्तावे[illegible] साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय तय होना है। अतः न्यायहित में प्रकरण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:01:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वस्तुस्थिति में अन्तरिम निषेधाज्ञा को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में सिद्ध होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि अप्रार्थी को पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम निसूरा के आराजी खसरा नम्बर 2653/0.09, 2654/0.06, 3687/0.21, 3688/0.22, 3689/0.23 कुल किता 5 कुल रकवा 0.81 है0 की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/09/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:01:51 IST
Reason: SelfAttested